

भारत में जैव-चकित्सा अपशषिट प्रबंधन

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?


HIV से संबंधित चिताओं के बीच, [जैव-चकित्सा अपशषिट प्रबंधन \(BMW\)](#) पर हाल की चर्चाओं ने ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिये प्रभावी [अपशषिट प्रबंधन प्रणालियों](#) की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

जैव-चकित्सा अपशषिट क्या है?

- **परिभाषा:** जैव-चकित्सा अपशषिट से तात्पर्य **मानव और पशुओं के शारीरिक अपशषिट** से है, साथ ही उपचार उपकरण जैसे सुई, सीरजि और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में उपचार और अनुसंधान के दौरान उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री से भी है।
 - इसे [जैविक और रासायनिक रूप से खतरनाक अपशषिट](#) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें जैविक और सूक्ष्मजैविक संदूषक शामिल हैं।
- **उपचार और निपटान के तरीके:** जैव-चकित्सा अपशषिट के प्रबंधन के विकल्पों में [भस्मीकरण](#), [प्लाज्मा पायरोलिसिस](#), [ऑटोक्लेविग](#) और [पुनरुचरण](#) शामिल हैं।
- **जैव-चकित्सा अपशषिट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति:**
 - इनमें से लगभग **79%** सुविधाएँ अपशषिट प्रबंधन के लिये [218 कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिसिपोजल सुविधाएँ \(CBWTF\)](#) का उपयोग करती हैं।
 - पर्यावरण नगर CBWTF में से **208** ने नगिरानी बढ़ाने के लिये [जैव-चकित्सा अपशषिट ट्रेकिंग के लिये केंद्रीकृत बार कोड प्रणाली \(CBST-BMW\)](#) को अपनाया है।
 - वर्ष 2020 तक, भारत में प्रतिदिन लगभग **774 टन** जैव-चकित्सा अपशषिट उत्पन्न होता था।
 - भारत में **393,242** स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, जिनमें से **67.8%** बनी बसितर वाली (क्लिनिक, प्रयोगशालाएँ) हैं और **32.2%** अस्पताल और नर्सिंग होम हैं।
- **संवर्द्धन हेतु रणनीतियाँ:**
 - **चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाना:** चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को लागू करने से स्वास्थ्य देखभाल अपशषिट प्रबंधन में धारणीय प्रथाओं को बढ़ावा मलि सकता है।
 - IIT के शोधकर्त्ता पारंपरिक 'टेक-मेक-डिसिपोज' मॉडल के बजाय 'रडियूस-रीयूज-रीसाइकल' दृष्टिकोण की वकालत करते हैं।

//

Transition to Circular Economy in Healthcare Waste Management



जैव-चकित्सा अपशषिट प्रबंधन हेतु क्या प्रावधान हैं?

■ **जैव चिकित्सा अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016**

- नयिमों के दायरे का वसितार कर इसमें टीकाकरण शविरि, रक्तदान शविरि, शल्य चिकित्सा शविरि या अन्य स्वास्थय देखभाल गतविधियों को भी शामिल कयिा गया है ।
- इसके तहत मार्च 2016 से शुरु होकर दो वर्षों के अंदर क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक बैग , दस्ताने एवं रक्त बैग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रावधान कयिा गया ।
- इसमें प्रयोगशाला अपशषिट, सूक्ष्मजीवी अपशषिट, रक्त के नमूनों एवं रक्त थैलियों का वशिव स्वास्थय संगठन (WHO) या राष्ट्रीय AIDS नयित्रण संगठन (NACO) द्वारा नरिधारति तरीके से कीटाणुशोधन या रोगाणुनाशन के माध्यम से पूरव उपचार कयिे जाने का प्रावधान कयिा गया ।
- इसमें स्रोत पर अपशषिट के पृथक्करण में सुधार हेतु जैव-चिकित्सा अपशषिट को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रावधान कयिा गया ।

■ **हानिकारक अपशषिट (प्रबंधन और पारगमन गतविधि) नयिम, 2016**

- बेसल कन्वेंशन: इसे वर्ष 1989 में अपनाया गया तथा यह वर्ष 1992 से प्रभावी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य हानिकारक अपशषिटों की पारगमन गतविधिको सीमिति करना है ।
- भारत बेसल कन्वेंशन का सदस्य है लेकिन इसने बेसल प्रतबिंध संशोधन का अनुसमर्थन नहीं कयिा है ।

Biomedical Waste Management



संबंधति नीतियों पर HIV/AIDS का क्या प्रभाव है?

- 1980 के दशक के अंत में अमेरिका में "सरिजि टाइड" के कारण होने वाले वैश्विक संकट के परिणामस्वरूप मेडिकल अपशषिट ट्रैकिंग अधिनयिम, 1988 जैसे सख्त नयिम लागू कयिे गये ।
- भारत में वर्ष 1998 में जैव-चिकित्सा अपशषिट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नयिम लागू होने के साथ ही इस दशिका में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिसके तहत अस्पतालों के अपशषिट को खतरनाक माना गया ।
- **22. 22. 22. 222222 22222 22222 22222 (1996)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से प्रदूषणसंबंधी चिंताओं पर प्रकाश पड़ने के साथ संबंधति नयिमक ढाँचे पर प्रभाव पड़ा ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दलिली में ऐसे परसिरों के मालकों एवं अधभोगियों को (जनिके पास नगरपालिका के नाले से जुड़ा शौचालय नहीं है) नरिधारति दशिका-नरिदेशों का पालन करते हुए अपशषिट को एकत्रति कर नरिदषिट डपिो तक पहुँचाना होगा ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

22. 22. 22. 222222 22222 22222 22222:

प्रश्न. भारत में टोस अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016 के अनुसार, नमिनलखिति में से कौन-सा कथन सही है? (2019)

- अपशषिट उत्पादक को पाँच कोटियों में अपशषिट अलग-अलग करने होंगे ।
- ये नयिम केवल अधसूचति नगरीय स्थानीय नकियों, अधसूचति नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे ।
- इन नयिमों में अपशषिट भराव स्थलों तथा अपशषिट प्रसंस्करण सुवधियों के लयि सटीक और वसितृत मानदंड उपबंधति हैं ।
- अपशषिट उत्पादक के लयि यह आज्ञापक होगा कि कसिी एक ज़िले में उत्पादति अपशषिट, कसिी अन्य ज़िले में न ले जाया जाए ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/biomedical-waste-management-in-india>

